उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-35/2024/761545/2024/60-1099/275/2024

लखनऊ::दिनांक:: 04 अक्टूबर, 2024

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्रीमती नीता अहिरवार, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली को वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216/79, दिनांक 08.12.2008 में दिये गये प्राविधानानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153 (1) के अन्तर्गत दिनांक 20.05.2024 से 15.11.2024 तक (कुल 180 दिवस) द्वितीय मातृत्व अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
2- जिलाधिकारी, बरेली।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- जिला परिवीक्षा अधिकारी, बरेली।
6- श्रीमती नीता अहिरवार, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in